

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4(340)अकाद / निकाशि / शै0का0 / 11-12 / 4594 दिनांक: 04 सितम्बर, 2013
प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय / विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।


विषय: सत्र 2013-14 का शैक्षणिक कार्यभार भिजवाने बाबत।
संदर्भ: निदेशालय का समसंख्यक पत्रांक: 4593 दिनांक 26 अगस्त 2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2013-14 का प्रत्येक वर्ष की भाँति, शैक्षणिक कार्यभार औचित्य आधार पर विषयवार निर्धारित प्रपत्रों में दिनांक: 30.08.2013 तक आवश्यक रूप से निदेशालय में प्रवेश नीति के अनुसार भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु आदिनांक तक अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक कार्यभार नहीं भिजवाया गया है, जो कि खेदजनक है।

कृपया शैक्षणिक कार्यभार अविलम्ब पत्रवाहक के साथ दिनांक 10 सितम्बर 2013 तक निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा प्राचार्य के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,




(डॉ. राजेश शुक्ला)

संयुक्त-निदेशक (अकादमी)

क्रमांक: एफ 4(340)अकाद / निकाशि / शै0का0 / 11-12 / 4594 दिनांक: 04 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
- ✓ 2. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय। कृपया पत्र को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।



(डॉ. राजेश शुक्ला)

संयुक्त-निदेशक (अकादमी)